फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

भीवाराम बनाम कम्पूरी वगै0

मु0नं0– 64/2015

म मुकदमा– दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/6/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलो द्वारा कार्य स्थगत/P.O सा. राज्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनाँक 20/6/23 को पेश हो।	
0.06.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा प्राथमिक डिकी की पालना मे कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक भू0अ0/शिविर/2023/85 दिनांक 23.06.2023 (05) द्वारा पेश किए जा चुके है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा कुर्रेजात प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तथा बहस उभयपक्ष का मनन किया गया। उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिकी जारी किए जाने योग्य प्रतीत होते है। अतः वाके रामा मरियाड़ा तह0 सिकराय जिला दौसा की पत्रावली में प्रश्नगत भूमि के तकास्मा हेतु उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पत्रांक भू0अ0/शिविर/2023/85 दिनांक 23.05.2023 पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है। उपतहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। तहसीलदार सिकराय को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर इस न्यायालय की मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	